न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण सं. 300/2017 प्रा0पत्र

कमाल खां मुसलमान बनाम सोहनसिंह राजपूत वगै.।

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/2/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। ग्राम गोरख्या तहसील करेड़ा के आ0नं0 4447/4379 रकबा 8.10 बीघा में नपती 45X20 फीट की साईज जिसे नजरी नक्शें में ए,बी,सी,डी से दर्शाया गया है जो प्रार्थी की कब्जेशुदा आराजी है जिसमें विपक्षीगण किसी प्रकार की दंखलदाजी नहीं करे। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला होकर सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण को वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षीगण प्रार्थी की आराजियात पर जबरन नाजायज कब्जा कर लेंगे तथा नये हक हकूक प्रार्थी की आराजियात की तरफ कायम कर देंगे तथा प्रार्थी को उसके खातेदारी अधिकार की आराजियात से जबरन बेदखल कर देंगे जिससे जो क्षति प्रार्थी को होगी उसकी क्षतिपूर्ति का कोई मापदण्ड नहीं हो सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगण प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य की आराजी जिसे नजरी नक्शे में हरूफ एन,जी,एम,एल,एच पर कोई किसी प्रकार का नाजायज कब्जा नहीं करे न करावे न कोई हक हकूक ही उक्त आराजियात की तरफ कायम करे, न करावे अर्थात प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी अधिकार की आराजियात के किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दखलदांजी नहीं करे, न करावे न प्रार्थी को उक्त आराजियात से जबरन बेदखल ही करे। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अप्रार्थीगण सहखातेदार है। जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया है। वादग्रस्त आराजी नंबर 4447/4379 में प्रार्थी एवं उसके सहखातेदारों के मध्य बंटवाड़ा नहीं हुआ है। कानूनी रूप से किसी आराजी का सहखातेदारो के बीच मौखिक बंटवाड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि भूमिधारक (राज0राज्य जरिये तहसीलदार) की उसमें स्वीकृति आवश्यक होती है बिना स्वीकृति के कृषि भूमि का बंटवारा नहीं माना जा सकता है। विपक्षीगण का भी आ0[illegible]4379 की हर इंच भूमि पर पूरा [illegible] मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से सहखातेदारों के मध्य विभाजन नहीं हुआ है। नजरी नक्शे में दर्शित एन,जी,एम, एच,एल केवल प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधि[illegible]य की नहीं है बल्कि इस हिस्से में प्रार्थी, विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदारों का भी बराबर हिस्सा है, कभी भी आ0नं0 4447/4379 का बंटवाड़ा नहीं हुआ है। प्राथी का प्रथम दृष्ट्या मामला नही है न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, न ही प्रार्थी को कोई क्षति हो रही है, बल्कि विपक्षीगण का प्रथम दृष्ट्या	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

कोई क्षति हो रही है, बल्कि विपक्षीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है, सुविधा संतुलन विपक्षीगण के पक्ष में है तथा प्राथी द्वारा वेशकीमती भूमि अपने कब्जे में ले लेंगे व उस पर निर्माण करा लेगे तो विपक्षीगण जवावदाता को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन होना संभव नहीं होगा। अतः अस्थायी निषेद्याज्ञा नजरी नक्शे में वर्णित एन,जी,एम,एच,एल भूमि बाबत् निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की वहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वहस उपरांत न्यायालय का मत है कि ग्राम गोरख्या की वादग्रस्त आ0नं0 4447/4379 **में** नजरी नक्शे में वर्णित एन,जी,एम, एच,एल भूमि पर उभयपक्ष वाद के निस्तारण तक मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे एवं विना विधिक प्रकिया के कोई निर्माण नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो। यह पत्रावली मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 22/02/2021 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर केरेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:45 IST
Reason: SelfAttested